Regarding problem of farmers

श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे **(**रामटेक**) :** मैडम, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि एक विषय पर किस तरह से किसानों को परेशान किया जाता है । उनको अलग-अलग तरीकों से परेशान किया जाता है । मेरे संसदीय क्षेत्र में कोल बेल्ट है । ? (व्यवधान)

मैडम, किस तरीके से किसानों को परेशान किया जाता है, इसको मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा । डब्ल्यूसीएल में किसानों की जमीन अधिगृहित की जाती है । सिंचित और असिंचित के विषय पर उस जमीन को ट्रिब्यूनल में डाल दिया जाता है । किसान 10-20 सालों तक उस ट्रिब्यूनल का चक्कर लगाते रहते हैं । डब्ल्यूसीएल नौकरी के लालच में किसानों की जमीन अधिगृहित करता है । उसके बाद वह नौकरी आवंटित भी कर देता है, लेकिन जिला अधिकारी महोदय द्वारा उसको प्रमाणित करने के बाद भी वह सिंचित और असिंचित का विषय लेकर केस को ट्रिब्यूनल में डाल देता है । किसानों को किसी न किसी तरीके से परेशान किया जाता है । किसानों को दस-दस सालों तक नौकरी के लिए घूमना पड़ता है । ? (व्यवधान)

महोदया, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस विषय पर ध्यान दे । ? (व्यवधान)

मैडम, मुझे कम्प्लीट करने दीजिए । आपने उधर तीन मिनट दिये हैं । मेरा एक मिनट भी नहीं हुआ है । ? (व्यवधान)